


न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म०प्र० सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी प्रकरण क्रमांक .....



R-3906-III/14

मोहम्मद अहमद उम्र 58 वर्ष तनय स्व० श्री मोहम्मद शफी निवासी युसुफ पुलिस वाले के बगल में डब्बियन टोला पचमठा रोड, घोघर रीवा, थाना सिटी कोतवाली रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा म०प्र० .....निगराकार

बनाम

1. मोहम्मद अशरफ उर्फ सानू उम्र 30 वर्ष,
2. फैसल खान उर्फ मोहम्मद अकरम उम्र 24 वर्ष,

दोनो पिता मोहम्मद अहमद दोनो निवासी युसुफ पुलिस वाले के बगल में डब्बियन टोला पचमठा रोड, घोघर रीवा, थाना सिटी कोतवाली तहसील हुजूर जिला रीवा म०प्र० .....गैरनिगराकार

निगरानी विरुद्ध न्यायालय नजूल अधिकारी रीवा के अपील प्रकरण क्रमांक 11/अ-6/2013-14 मोहम्मद अहमद विरुद्ध मोहम्मद अशरफ व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.09.2014 के निगरानी अन्तर्गत धारा 50(1) म०प्र०भू०सं० 1959 ई०

क्रमांक \_\_\_\_\_  
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज  
दिनांक \_\_\_\_\_ को प्राप्त

क्लर्क ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

क्रमांक 3643  
पोस्ट द्वारा आज  
दिनांक 15/11/14 को प्राप्त  
मान्यवर,

क्लर्क ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर


निगराकार द्वारा यह निगरानी आवेदनपत्र श्रीमान के समक्ष, न्यायालय नजूल तहसीलदार रीवा के प्रकरण क्रमांक 27/अ-6/2013-14 मे पारित नामान्तरण आदेश के विरुद्ध निगराकार द्वारा नजूल अधिकारी रीवा के समक्ष दायर की गई अपील प्रकरण क्रमांक 11/अ-6/2013-14 मोहम्मद अहमद विरुद्ध मोहम्मद अशरफ मे प्रस्तुत अंतरिम आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम मे पारित किये गये आदेश दिनांक 15.09.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.3906-III/14

जिला-रीवा

मोह० अहमद / मोह० अशरफ उर्फ सानू

(1)	(2)	(3)
18.01.17	<ol style="list-style-type: none"><li>1. प्रकरण प्रस्तुत।</li><li>2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।</li><li>3. चूंकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</li><li>4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे, तत्पश्चात् प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।</li></ol> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	

M